

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



सुमित धर द्विवेदी



AZ 584812



ट्रस्ट-विलेख

- ट्रस्ट का नाम — राम हंस एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
- ट्रस्ट कोष — 11,000/-रु०
- स्टॉम्प — 780/-रु०

हम कि श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० रामेश्वर प्रसाद सिंह निवासी निकट लिटिल फ्लावर्स स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा, तहसील सदर बस्ती, जिला बस्ती का हैं।

—मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक)

हम मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है हमारी हार्दिक इच्छा रही है कि समाज में सुख शान्ति आपसी सदभाव सदाचार व शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक मुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूति



10.217

दिनांक 20-9-2016 ई. 20/6.1957 - (सुप्रीम प्रताप सिंह 81. स्व. रामेश्वर प्रसाद)
प्रति. 012033 सुप्रीम न्यायालय नं. 332 दिल्ली

Handwritten signature

राम जी वर्मा
स्टाफ विक्रीता नं० न० 34
दिल्ली कमेडरी बस्ती

500 + 1402 6401 - 52

87124
11588



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 584813

आवश्यकताए भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पाति धर्म और सम्प्रदाय कहीं से भी बाधक न हो। मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाए जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हमारे द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है जिसका नाम राम हंस एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट होगा एवं ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय निकट लिटिल फ्लावर्स स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा, तहसील सदर बस्ती, जिला बस्ती का होगा। हम पक्षों ने इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए मुबलिग 11000/-रूपया (ग्यारह हजार रूपया) मात्र का एक न्यास कोष स्थापित कर दिया है।

Signature



1. 218 नम 28-7 2016.14.50) - सुल्तन प्रलय सिंह 81-28-214 999 पत्नी सिंह
R. 8/ 2873 सुल्तन प्रलय सिंह व. सदा विवाह वस्ती

रामजी

राम जी वर्मा
पत्नी पिकेता लाल नं 30
दिवानी कपौरी बस्ती



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 584814

विधित हो कि आज कि तिथि तक ट्रस्ट की कुल मालियत मुवलिंग 11000/-रुपया (ग्यारह हजार रुपया) की है और आगे भी इस न्यास को उसमें विभिन्न उपयोग से धन की व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक ने अपने द्वारा स्थापित न्यास के प्रबंध एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र भी निष्पादित कर रहे है जिसमें निम्न रूपेण व्यवस्थाएँ है :-

- 1- यह कि हमारे द्वारा स्थापित न्यास का नाम "राम हंस एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट" निकट लिटिल फ्लावर्स स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा, तहसील सदर बस्ती, जिला बस्ती होगा जिसे इस न्यास पत्र मे आगे "न्यास अथवा ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
- 2- यह कि हमारे द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रजिस्ट्रर्ड कार्यालय निकट लिटिल फ्लावर्स स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा, तहसील सदर बस्ती, जिला बस्ती मे होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यो को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उददेश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयो के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पडने पर भारत के बाहर भी विधि पूर्ण कार्यो का संचालन किया जा सकेगा।

Shy

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 584815

- 3- यह कि ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी प्रबंधक श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह होंगे और हम न्यास के उक्त पदों के लिए निर्धारित अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रयोग कर न्यास की समुचित व्यवस्था करते रहेंगे। हमारे द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करता हूँ। भविष्य में हम मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी हम मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। सदस्यों की कुल संख्या 07 से अधिक नहीं हो सकेगी ट्रस्ट की स्थापना के समय हमारे द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :-
- 1- श्रीमती मधुरानी सिंह पत्नी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह निवासिनी निकट लिटिल फ्लावर्स स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा, तहसील सदर बस्ती, जिला बस्ती की हूँ।
 - 2- श्री राहुल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी निकट लिटिल फ्लावर्स स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा, तहसील सदर बस्ती, जिला बस्ती।
 - 3- श्रीमती अपर्णा सिंह पत्नी श्री राहुल सिंह निवासिनी निकट लिटिल फ्लावर्स स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा, तहसील सदर बस्ती, जिला बस्ती।



१०. ३२०

दिनांक २०.१.२०१६. १८-५०१- सुदेश प्रकाश सिंह व. २०-२०२० प्रकाश सिंह

दि. ०१/२०१३ सुदेश का कारा ट. स. २५२ विद्या बस्ती

Signature

राम जी वर्मा

सहाय्य प्रिन्सिपल हा० न० ३५

विद्यापीठ बस्ती

STAMPED AREA

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 584816

- 4- श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी श्री चन्द्रवीर सिंह निवासिनी कमला मार्केट रोड़वेज तिराहा, जनपद बस्ती ।
- 5- श्रीमती शशिप्रभा पत्नी श्री रामशिरोमणि सिंह निवासिनी सी0-146 आवास विकास कालोनी जनपद प्रतापगढ़ ।
- 6- श्री रामशिरोमणि सिंह पुत्र श्री सूर्यपाल सिंह निवासी सी0-146 आवास विकास कालोनी जनपद प्रतापगढ़ ।
- 4- यह कि हम मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा "राम हंस एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट" निकट लिटिल फ्लावर्स स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा, तहसील सदर बस्ती, जिला बस्ती के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-
 - (1) समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं के स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना ।
 - (2) शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देश-विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना ।

दिनांक 20-9-2016. 1359 - शुद्ध प्रमाण सिंह ध. स्व. शोध प्रमाण सिंह
21. 01 2033 शुद्ध प्रमाण सिंह ध. स्व. शोध प्रमाण सिंह

शाम...
राम जी वर्मा

पञ्जाब विप्लव ला0 न0 31
प्रियाजी कचेहरी इस्ती



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NONJUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 584817

- (3) नवयुवकों एवं नवयुतियों व छात्र छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल इण्टरमीडिएट, व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों एवं विज्ञान एवं मैनेजमेन्ट, मेडिकल कालेज, टेक्निकल, प्रोफेशनल कालेजो एवं लॉ कालेजो की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका स्थापना एवं संचालन करना तथा शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना व संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं हेतु सी0बी0एस0सी0 बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
- (4) वर्तमान समय में विज्ञान के जन-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञाषुओ व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- (5) लिंग भेद जाति-पाति, छुआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिटरेचर आदि की व्यवस्था करना।
- (6) शिक्षा प्रचार-प्रसार, उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा तकनीकी गैर, तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा, शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु विद्यालय, महाविद्यालय स्थापित करना व उसका संचालन करना।

SA



322
322

क्र. 38-9 : 70/6.1.50) - सुरेन्द्र प्रसाद सिंह का-रुग शोधना प्रकाश
भा. 8/ 2033 सोड्ड नग्न करार ल- सड्ड डिवा क

Rajwaf
राम जी वर्मा
स्टाफ विक्रेता ला0 न0 3^न
दिवानी कचेहरी बरली

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 584818

- (7) समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पीओजीओ कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
- (8) शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजिनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पीओसीओएसओ, आईओएओएसओ में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उसमें होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।
- (9) ट्रस्ट के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना तथा उनके न मिलने की दशा में सीट पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।
- (10) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबंध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
- (11) युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टीवीओ ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैंड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग, बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग

5/11



सं. 20-9-2016. (5-50) - सुप्रीम प्रशासनिक म.सं. 2016 प्रकाशित
सं. 0/2017 सुप्रीम प्रशासनिक म.सं. 2017 प्रकाशित

(Handwritten Signature)

राम जी वर्मा
सहाय्य विक्रेता ला० न० 30
दियाली कपोहरी बस्ती



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 584819

प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबंधन करना आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना अन्य ट्रस्ट/सोसाइटी/फर्म द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों के संचालन का कार्य करना।

- (12) खाद्य प्रसंस्करण जैसे-जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
- (13) युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।
- (14) विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे गूंगे, बहरे, अन्धो, अपंग, एवं मानसिक रूप-से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाना आदि बिना लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उसकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

SPH



10. 324

दिनांक 20-9-2016. 12:50 - सुरेन्द्र प्रसाद सिंह 81-28-21/22 प्रसाद सिंह
श. 8/2033 सुरेन्द्र प्रसाद कपरा की साज जिन्दा बस्ती

राम जी वर्मा

राम जी वर्मा
स्टाम्प विक्रेता ला0 न0 39
दिवानी कपड़ेहरी बस्ती



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


AZ 589374

- (15) वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना जिसमे मनोरंजन पढने लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।
- (16) महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।
- (17) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बरात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबंध करना।
- (18) सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधो को बडे पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण औषधियों एवं जड़ी बूटी वाले पौधो का उत्पादन करना।
- (19) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन-जन तक पहुँचाना।
- (20) राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगो में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

S. S.



0-375 दिनांक 2019-2016/15.50/ श्री. नरु प्रताप सिंह ए. स्व. शमशेर प्रसाद
श. 8/2033 सुट्टे नाम करार हा. सहा. विज्ञान बरती


राम जी वनी
सहाय विज्ञानता ला0 न0 39
विज्ञानों कवेहरी बरती



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 589375

- (21) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे यूनीसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- (22) घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी रोक-थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।
- (23) नशा के सेवन से छुटकारा पाने के लिए नशा-मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
- (24) समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे अन्धविश्वास, बाल विवाह, दहेज-प्रथा, बाल-शोषण, बाल-श्रम, महिला-शोषण, लिंग-भेद, अस्पृश्यता, जाति-पाति एवं छुआ-छूत की भावना, स्वीछिक भावना के हास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (25) युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना तथा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीडन मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।
- (26) सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना।

SMA

0. 326 काठ 28-9-2016 K. J. J. - सोहन प्रताप सिंह व. स्व. रामेश्वर प्रताप सिंह
पं. 8/2033 सोहन नगर कसरा व. सडा जिला कुशी

रामेश्वर
राम जी वर्मा
कानून बिरोता लाठ नं० 38
दिपायी कवेहरी डरली



भारतीय नैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 537504

- (27) विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।
- (28) एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उबलबुध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरामेडिकल महाविद्यालयों डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना व उसका संचालन करना।
- (29) सरकार की सहायता से गँवों एवं शहारों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।
- (30) कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित कराना।
- (31) प्राकृतिक आपदा जैसे हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना।




10-915 तारीख 28-9-2016 ई. 70/ सुन्दर प्रसाद सिंह व. व. 21/ अणु प्रकाश सिंह
पृ. 8/ 2833 सुन्दर गाँव कटरा व. 21/ अणु प्रकाश सिंह

सुन्दर प्रसाद सिंह
सुन्दर प्रसाद सिंह
साम्य विद्येता ला. नं. 85
दिवानी कार्यालय बस्ती



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 537505

- (32) उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
- (33) पंचायती राज एवं उपरोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान व कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना करना।
- (34) गरीब लोगो विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकी सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।
- (35) सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य करना जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।
- (36) किसी अन्य सरकारी अथवा एन0जी0ओ0 एसोसिएशन, ट्रस्ट के क्रियाकलापो में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते हो।
- (37) सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगो/संस्थाओं/तंत्रो/कम्पनी/दुकानो से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना।
- (38) ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

SA

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 537506

- (39) सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना तथा इनकी शर्तों की अनुपालन में न्यास की चल व अचल सम्पत्तियों को बंधक में देना।
5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :-
- 1- समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
 - 2- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारु व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।
 - 3- ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
 - 4- ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिये धन, सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि प्राप्त करना उनकी प्रबंध ईकाइयों गठित करना।
 - 5- ट्रस्ट के अधीन पूर्वजो द्वारा स्थापित लिटिल फ्लॉवर स्कूल सोसाइटी सुरेन्द्र नगर कटरा जनपद बस्ती में चलने वाली संस्थाओं की व्यवस्था के लिये शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।



10-367 लख १४-१. २०१६. सं. १०१- सुदेश प्रकाश सिंह अ-२७- राधिका प्रसाद सिंह
श. ४१ २०१५ सुदेश-१११ कलरा व. सड्ड जिला बस्ती

राम जी वर्मा
राम जी वर्मा
स्टाम्प विक्रेता ला. नं. ४०
दिवानी कारोहरी बस्ती





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 537507

- 6- ट्रस्ट कर सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
- 7- ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को मंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
- 8- ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौ-शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्ति कर्मचारियों के लिये आचरण नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
- 9- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालन संस्थाओं के हित में व्यक्तियों संस्थाओं, सरकारी अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, विभागों व विदेशी संगठनों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
- 10- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।

Sri



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 537508

- 11- ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80-जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।
- 12- ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी व इन्स्टीट्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित आवश्यक कार्य करना।

SK



0. 329

ता. 20-9 2016 अ. 20/ - सुरेन्द्र प्रसाद सिंह व. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
0/ 2023 सुरेन्द्र प्रसाद व. सुरेन्द्र प्रसाद

Surender Prasad Singh
सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
राज्य विधायक ला. नं. 82
सिवामी कावेहरी बस्ती





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 537509

6. ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था :-

क- ट्रस्ट का गठन एवं संचालन :- ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

- 1- ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबंधक हम मुकिएर प्रथम पक्ष होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार उनके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा किन्ही परिस्थितियों में उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारी में से बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

Sky



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 537510

- 2- मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बिमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
- 3- ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारु प्रबंध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टीयों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा ट्रस्ट के पदाधिकारी के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक का निर्णय सभी ट्रस्टीयों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।
- 4- ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्त स्थानों की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।



210. 311

ता. 28-9-2016. 05. 20/- सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का. स्व. गौ. उ. प्र. का. वि.
श. 0/2033 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का. स्व. गौ. उ. प्र. का. वि.

राम जी वर्मा
राम जी वर्मा
स्टाम्प विडोता ना. नं. 88
दिवानी कपेहरी बस्ती





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 540281

- 5- ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितौषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जावेगा।
- 6- ट्रस्ट के माध्यम से पूर्वजो द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था लिटिल फ्लावर स्कूल सोसाइटी के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, सम्बन्धित शैक्षिक संस्था लिटिल फ्लावर स्कूल सोसाइटी की नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबंध व्यवस्था के लिए नियमानुसार समक्ष प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित शैक्षिक संस्था लिटिल फ्लावर स्कूल सोसाइटी के प्रबंधसमिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 7- ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

S.A.

11-312 तारीख 20-9 20/6/18-20/- सुप्रीम प्रशासन सिंह स.श.स. चण्डीगढ़ प्रशासन
अ. 8/20/20 सुप्रीम प्रशासन स.श.स. चण्डीगढ़ प्रशासन

Signature

राज जी वर्मा
सहायक क्लर्क लाओ नो 30
विभागीय कार्यालय चण्डीगढ़





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 540282

- 8- ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्च व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक के पास सुरक्षित होगा।
- ख- ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेश :-
- 1- ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबंधक व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को पन्द्रह दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
- 2- वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा विचारोपरान्त बहुमत से पारित ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।
7. मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक के अधिकार एवं कर्तव्य :-
- 1- इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक के रूप में कार्य करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।


Sgt


40. 313

दिनांक 28-9-2016 ई. 24/ सेंट्रल प्रयाग बैंक व स्व. रामेश्वर प्रसाद
ए. 8/2888 सेंट्रल बैंक का कार्यालय संभल विहार कलकत्ता

(Handwritten signature)

राम जी वर्मा
आका विभागात्ता ला० न० ३७
विभागात्ता काठेरी हस्ता





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 540283

- 2- ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना ।
- 3- ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना ।
- 4- ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना ।
- 5- ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना ।
- 6- ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित बिलेखों को हस्ताक्षरित करना ।
- 7- ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्ति करना ।
- 8- इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को कराना ।
- 9- ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना ।
- 10- ट्रस्ट के आय-व्ययों का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय-व्ययों का लेखा परीक्षण कराना ।

S. S.

10. 514 का 28-9-20/6.19.20/323

Handwritten signature

राम जी वर्मा
सम्पन्न किलोना ला० न० ३९
किसानी कब्रहरी बस्ती





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 540284

- 11- ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारु रूप से रख-रखाव करना।
- 12- ट्रस्ट के माध्यम से खादी बोर्ड/खादी कमीशन के नियमानुसार कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उक्त ट्रस्ट के विकास हेतु बैंक व वित्तीय संस्थाओं से ऋण अनुदान प्राप्त करना तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार व विदेशी संगठनों से सहयोग प्राप्त करना
8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था :- ट्रस्ट के कोष के सुचारु रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियों एवं ऋण राशियों निहित होंगी, ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अधिकृत किसी ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।
9. ट्रस्ट के अभिलेख :- ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक का होगा।
10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था :- ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी :-

NO. 315 दिनांक 20-9-2016 ई. 2016-17-2017 - सुप्रीम प्रशासनिक सेवा आयोग का प्रस्ताव
दिनांक 21-8-2013 सुप्रीम प्रशासनिक सेवा आयोग का प्रस्ताव है। सदा विचार करें।

राज जी वर्मा

राज जी वर्मा
स्टाफ चिठिया नं० 110 95
विधान सभे की बस्ती



भारतीय नैर न्यायिक

बीस रुपय

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश, UTTAR PRADESH

27AA 540285

- 1- यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादी लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे की मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक उचित समझे अधिकृत होंगे।
- 2- यह कि मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराए पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
- 3- यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा की गई कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
- 4- ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबंधकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल की निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबंधन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

10. 316 टिकट 28-9. 2016 (20/10/2016) - सुखदेवराव शिंदे ध. स्व. शिवाजी नगर
21. 8/2853 सुखदेवराव शिंदे ध. स्व. शिवाजी नगर

शुद्ध
राम जी धर्मा
स्टाम्प टिकट नं० 39
शिवाजी कचेदरी इरही



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON-JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AC 850362

- 5- ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
- 6- ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवाशर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबंध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

Sh



सं. २०१७/२०१३ सुप्रीम कोर्ट का फैसला

राजेश कुमार सिंह
राज जी वर्मा

पिन कोड २०० ३०
 बस्ती राहसील सदर

रास पत्र

11,000.00
 न्यास की गति
 श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
 पुत्र श्री रतन रामेश्वर प्रसाद सिंह
 व्यवसाय नौकरी

500.00 फीम रजिस्ट्री
 140 नकल व प्रति शुल्क
 640.00 योग
 52 पृष्ठों की संख्या

निवासी म्याथी लिटिल पलावर स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा राहसील सदर बस्ती
 अस्थायी पना लिटिल पलावर स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा राहसील सदर बस्ती
 ने रास लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 14/12/2016 गण्य 2:34PM



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सिंह
 उपनिबन्धक
 बस्ती रादर
 14/12/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद मुकदमे व गणक्षणे मजदुरी
 गारी

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
 पुत्र श्री रतन रामेश्वर प्रसाद सिंह
 पेशा नौकरी
 निवासी लिटिल पलावर स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा राहसील सदर बस्ती



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान सुमित धर द्विवेदी
 जय प्रकाश धर द्विवेदी

पेशा नौकरी

निवासी न्यू खीरहवा कालोनी निकट पाण्डेय पोखरा
 माधन मिश्रा
 शत्रुघ्न प्रसाद मिश्रा



पेशा नौकरी

निवासी बरवागिया तप्पा दुबखरा



प्रत्यक्षत रास माहियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिखे गये हैं।
 मुख्य दूरदी- वोटर कार्ड व मजदुरी - आधार कार्ड



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सिंह
 उपनिबन्धक
 बस्ती रादर

राजेश कुमार सिंह
 14/12/16

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AC 850363

- 7- ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिये व सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्तें लागू होंगी।
- 8- यह कि ट्रस्ट से सम्बन्धित किसी भी कार्य के विवाद में न्यास मण्डल में कोई मतभेद अथवा न्यास सम्बन्धित किसी भी अन्य कार्य में गतिरोध की दशा में मुख्य ट्रस्टी/ प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा जो सभी पर बाध्यकारी होगा।
- 9- यह कि न्यास मण्डल में किसी भी ट्रस्टी को बहिष्कार करने या किसी नये ट्रस्टी की नियुक्ति करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/ प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।

Sri

7-367

दिनांक 20-9-2016 15:10 सुरेन्द्र प्रताप सिंह 81-83-210-2833
81-8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा तहसील सदर बस्ती

सुरेन्द्र

रजिस्ट्रार कार्यालय

कटरा तहसील नं० 30

बस्ती

Registration No.: 85

Year: 2016

Book No.: 4

0101 सुरेन्द्र प्रताप सिंह

स्व० रामेश्वर प्रसाद सिंह


लिटिल फ्लावर स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा तहसील सदर ब
नौकरी



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AC 850364

घोषणा

"राम इंस एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट" निकट लिटिल फ्लावर्स स्कूल 8/2833 सुरेन्द्र नगर कटरा, तहसील सदर बस्ती, जिला बस्ती की तरफ से श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ व समझकर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के खूब सोच समझकर इस न्यास पत्र को निबंधन हेतु प्रस्तुत किया है जिससे की इस न्यास का विधिवत गठन हो सके। इस न्यास विलेख द्वारा किसी भी अचल सम्पत्ति का व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है।



0- 363

दि. 28-9-2016/101 - सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ध.सब.रा.प्रसाद
श. 8/2833 सुरेन्द्र नगर ए. सं. जिला बस्ती

श.सब.रा.प्रसाद
नगर बस्ती ला. नं. 39
दिवानी कंचेहरी बस्ती

गवाह

Registration No.: 85

Year: 2016

Book No.: 4

W1 सुमित घर द्विवेदी
जय प्रकाश घर द्विवेदी
शू. खौरहवा कालोनी निकट पाण्डेय पोखरा सिविल लाईन बस्ती
नौकरी



W2 गाधव मिश्रा
शत्रुघ्न प्रसाद मिश्रा
बरवनिया तप्पा दुबखरा
नौकरी



भारतीय न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

77AC 850365

हो सम्पीगण :-

1 :- सुप्रिय चरदिवेदी हो मुख्य दूरी/प्रबन्धक
श्री जयप्रकाश चरदिवेदी
न्यू रवेरहा चमलाती
मिक्ट पाठेयपुरा
दिविल बाइन बस्ती
(सुरेन्द्र प्रताप सिंह)

मजमूनकर्ता

2 :- माधव मित्रा
श्री शकुन्तल प्रसाद मित्रा
ग्राम- बखनियां पन्हे
नगर बाजार, बस्ती
Kamlesh Kumar Advocate
(कमलेश कुमार एडवोकेट)
दीवानी कचहरी, गोरखपुर।

टाइपकर्ता

दिनांक :- 14-12-2016
(रामबरन प्रसाद)
दीवानी कचहरी, गोरखपुर।

NO. 304 का 28-7-2016 18.10/ सुन्दर प्रसाद सिंह 81- स्व. शोभा देवी (पुत्र) मंत्र
श. 0/2833 सुन्दर प्रसाद मंत्र का 28/12/16 जिला बस्ती

शोभा देवी
शोभा देवी
पत्नी सुन्दर प्रसाद का 28/12/16
जिला बस्ती

आज दिनांक 14/12/2016 का
वही सं. 4 जिल्द सं. 48
पृष्ठ सं. 323 से 374 पर क्रमांक 85
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सिंह

राजेश कुमार सिंह
उपनिबन्धक
बस्ती सदर
14/12/2016

